



109

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

3970 I-16

प्रकरण क्रमांक

/2016 रिवीजन

आनन्द मोहन शर्मा पुत्र श्री रामभरोसे शर्मा
आयु- 56 वर्ष, निवासी- ग्राम गिर्जोरा
तहसील मेहगांव, हाल निवासी- महाराणा
प्रताप नगर, वार्ड नं0-11, भारोली रोड,
भिण्ड, म0प्र0 —आवेदक

श्री चमंड शर्मा, कानून
द्वारा आज दि 28-11-16 को
प्रस्तुत

ब्लॉक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.ग. ग्वालियर

बनाम

1. दौलतराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासी- ग्राम गिर्जोरा तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड, म0प्र0
2. संजय श्रीवास्तव-पटवारी मौजा निवासी-
ग्राम गिर्जोरा मेहगांव जिला भिण्ड, म0प्र0
3. मुन्नालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासी- ग्राम गिर्जोरा मेहगांव जिला भिण्ड,
—अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के
तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 17/11/2016 न्यायालय अपर
आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 182/2012-13
अपील में पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा
पारित आदेश दिनांक 05/03/2013 से दुखित एवं व्यथित होकर
यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय,


आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

604
28-11-16

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3970-एक/2016 जिला-भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.01.18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री ओ० पी० शर्मा उपस्थित। आवेदक आनन्द मोहन शर्मा के वोटर कार्ड एवं अनावेदक दौलतराम, संजय श्रीवास्तव, एवं मुन्नालाल के आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता द्वारा समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>